न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 10/2021 बउनवानी गंगा सहाय सोनी बनाम लो.सू.अधि.एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर
से.नि. अति0 बीईईओ, कल्याण जी गेट, पटवारी कॉलोनी गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
02.03.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 21.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. प्रार्थी PPO NO.766225(R) की पेंशन से कम्यूटेशन राशि 2562/–रू दिनांक 1.7.2032 तक कटौती संबंधी नियम एवं आदेश की (कम्यूटेशन राशि कटौती की) प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पेंशन/2021/3373 दिनांक 22.02.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 मे चाही गयी सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2931 दिनांक 29.12.2020 एवं पत्रांक 3372 दिनांक 22.2.2020 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2931 दिनांक 29.12.2020 एवं पत्रांक 3372 दिनांक 22.2.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चाही गयी सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.21 17:39:05 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर